भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507915

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	देवामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या-81
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.292 हेक्टेअर

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507916

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 21,99,782/-
11.	मालियत	:	रू0 3,65,000/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 2,20,000/-

चौहद्दी

खसरा न0 81

पूरब	: खसरा संख्या-83
पश्चिम	: खसरा संख्या-75
उत्तर	: खसरा संख्या-80
दक्षिण	: चकरोड

राम सेवक

Ankur

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507917

प्रथम पक्ष की संख्या–01		द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम सेवक पुत्र गुरू प्रसाद, निवासी –लिलमथा इब्राहिमपुर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री विशम्भर निवासी–ग्राम नन्दौली, तहसील–हसनगंज, जिला–उन्नाव। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507918

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम सेवक पुत्र गुरू प्रसाद, निवासी –लिलमथा इब्राहिमपुर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री विशम्भर निवासी–ग्राम नन्दौली, तहसील–हसनगंज, जिला–उन्नाव जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507919

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–81, रकबा 0.292 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– देवामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00063 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ कोषागार
507920
10 JAN 2008
स. को. अ/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKO. T.R.Y.

द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507921
10 JAN 2008
स. को. अ / कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKO.TRY.

उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 21,99,782/– (रूपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ कोषागार से जारी
507922
10 JAN 2008
स. को. अ./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
L K O. T R Y.

के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239168

स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 239169

हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239170

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सैरकिल रेट रू0 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि 0.292 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,65,000/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 2,20,000/-

रामसेवक

Amar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ से जारी
D 102299
DEC 2007
स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T.R.Y. L.K.O.

जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस

विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

कृषि भूमि खसरा संख्या–81, रकबा 0.292 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– देवामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता ने रू0 21,99,782/– (रूपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) द्वारा चेक संख्या– 583185 दिनांकित 17.01.2008 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 21,99,782/– (रूपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) विक्रेता नें

विक्रय पत्र

2,199,782.00/	**365,000.00**	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती राम सेवक

पुत्र / पत्नी श्री गुरू प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी स्थायी लिलमथा लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 17/1/2008 समय 5:00PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

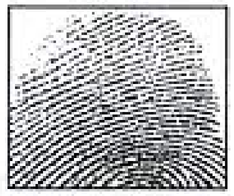

एच.के.पान्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/1/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती राम सेवक

पुत्र/पत्नी श्री गुरू प्रसाद

पेशा कृषि

निवासी लिलमथा लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती अरुण कुमार वर्मा

पुत्र/पत्नी श्री विशम्भर

पेशा कृषि

निवासी ग्राम नन्दौली तह.हसनगंज,लखनऊ

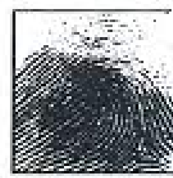

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री बी.आर.शर्मा

पुत्र श्री एस.आर.शर्मा

पेशा व्यापार

निवासी 18,मदन मोहन मालवीय मार्ग,लखनऊ

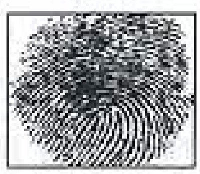

व श्री सुरेश चन्द्र

पुत्र श्री स्व.ब्रहमादीन

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम देवामऊ लखनऊ

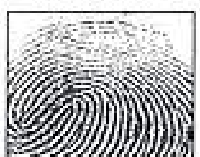

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एच.के.पान्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

17/1/2008

क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोटः पृष्ठ संख्या-13 पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ
दिनांकः 17.01.2008

रामसेवक
विक्रेता

गवाह क्रेता की पहचानवाले
1. वी.आर. शर्मा
S/o डी. आर. शर्मा
18 मदनमोहन मालवीय मार्ग
लखनऊ

2. [illegible]

[illegible]
क्रेता

मसविदाकर्ता
(कुलदीप वर्मा)
एडवोकेट

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

विक्रेता

Registration No 603 Year : 2008 Book No. 1

0101 राम सेवक

गुरु प्रसाद

लिलमथा लखनऊ

कृषि

[illegible] नजरी

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

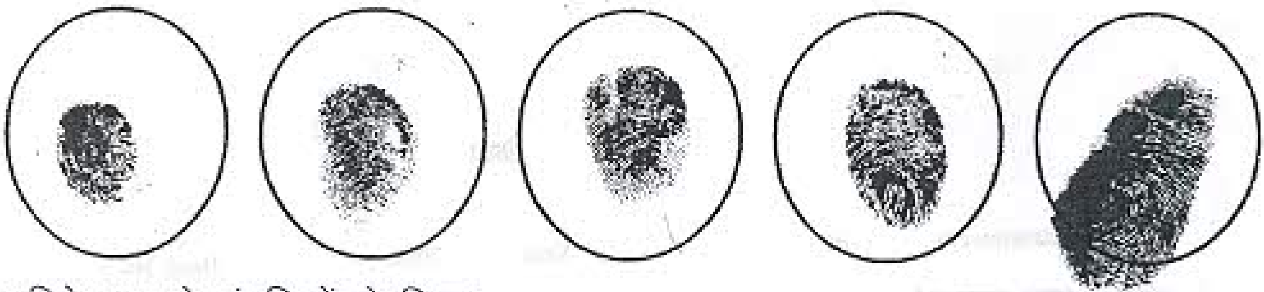

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

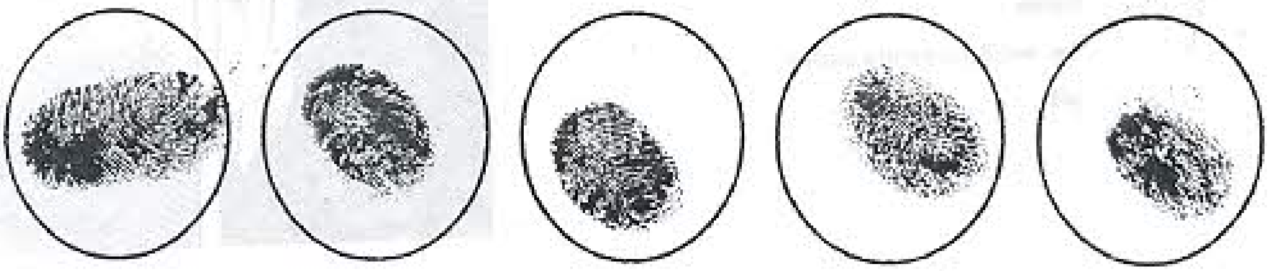

रामसेवक

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

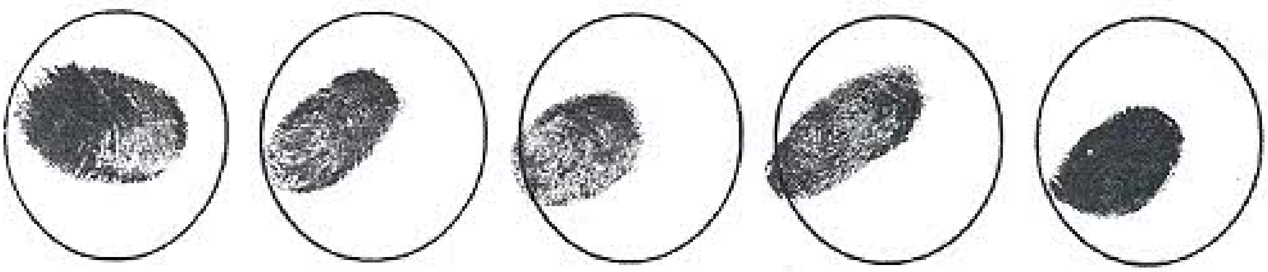

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 603 Year : 2008 Book No. 1

ν201 अरुण कुमार वर्मा

विशम्भर

ग्राम नन्दौली तह.हसनगंज,लखनऊ

कृषि

<u>नक्शा नजरी</u>

ग्राम : देवामऊ

खसरा संख्या– 81

विक्रेता : रामसेवक

क्रेता : भारत कुमार वर्मा

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

रामसेवक

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 39020500395 ग्राम का नाम : देवामऊ परगना बिजनौर तहसील : लखनऊ

जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00063	राम सेवक	[illegible] प्रसाद	नि लिल्मथा इब्राहीमपुर	1405फ.	38	0.5390			
				1405फ.	81	0.2920			
				1407फ.	41	0.2330			
				कुल गाटे :	3 कुल क्षे :	1.0640	33.45		

हस्ताक्षर